पशुपालन और मत्स्य पालन योजनाओं को मजबूत करने पर बल

देवघर (आससे)। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में मत्स्य, पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय में किया गया। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन, पशुधन और गव्य विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए इन योजनाओं का लाभ सीधे धरातल पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बैठक में ज़िले के जल निकायों का सही उपयोग कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, पशुओं के टीकाकरण व नस्ल सुधार करने और दुग्ध समितियों को अधिक सक्रिय बनाने पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं की प्रगति, वार्षिक लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों, लाभुक चयन प्रक्रिया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं का पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आगे उपायुक्त ने मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान वेद व्यास आवास योजना, विपणन योजना



के तहत पिकअप वैन एवं विपणन किट, मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण, सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती तथा जीर्णोद्धार कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए लाभुकों के चयन में शत प्रतिशत पारदर्शिता अपनाने का निर्देश दिया। आगे उपायुक्त ने मत्स्य विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभुक इनका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त बैठक में उपायुक्त ने पशुपालन विभाग की सुकर विकास, बकरा विकास, कुक्कुट पालन, ब्रायलर कुक्कुट पालन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. वहीं, गव्य विकास विभाग के अंतर्गत दुधारू गाय योजना, डीप बोरिंग, वर्मी कंपोस्ट, पशु बीमा, चाफ कटर, पनीर एवं खोवा यूनिट स्थापना जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए लाभुकों के चयन प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में आगे उपायुक्त ने पशुधन की मृत्यु दर (मोर्टेलिटी) और बीमा दावों की स्थिति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। आगे अधिकारियों ने बताया कि जिले में पशुधन की मृत्यु दर काफी कम है तथा मृत्यु होने पर पशुपालकों को बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। आगे उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाओं हेतु लाभुकों के चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने का निर्देश दिया। आगे उपायुक्त ने कहा कि विभागवार प्राप्त लक्ष्य को प्रखंड स्तर पर पंचायतों एवं जनसंख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जाए, जिससे अधिकतम योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। आगे उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लाभुकों का चयन विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्री पीयूष सिन्हा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

दुर्गापूजा पर बड़ी संख्या में हुआ प्रतिमा विसर्जन

देवघर (आससे)। देवनागरी देवघर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार कोदुर्गा की प्रतिमाओं काबड़ी संख्या मेंविसर्जन हुआ! विसर्जन कार्यक्रम अभी तक जारी है, अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन विश्व प्रसिद्ध पवित्र सरोवर शिवगंगा में हुआ शिवगंगा परबड़ी संख्या मेंदर्शन दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी रही। यहांकी एक पुरानी परंपरा है जिसके तहत एक मंडप की देवी दुर्गा के प्रतिमा को नाव बनाकर उसे पर चढ़ा कर शिवगंगा में परिक्रमा कराया जाता है तब देर रात उनका विसर्जन होता है इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में शिवगंगा के चारों ओर भीड़ लगी रहती है! जय मांके साथमां को विदाई दी गई.

वहीं दूसरी ओर लौ नगरी जमशेदपुर में विजयादशमी पर मां दुर्गा की विदाई के दौरान शहर के अलग अलग विसर्जन घाटों पर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं. ढोल-नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच भक्तों ने मां को विदा किया. प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद धीरे-धीरे घाटों पर भीड़ कम होने लगी और उत्सव का माहौल शांत हो गया. लेकिन इसी बीच घाटों पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने लोगों को भावुक कर दिया. विसर्जन के बाद कुछ जरूरतमंद लोग प्रतिमाओं के अवशेषों के बीच अपने काम की चीजें तलाशते नजर आए. कोई मलबे से उपयोगी सामग्री चुन रहा था, तो कोई प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल किए गए बांस और बल्लियों को सावधानी से निकालकर किनारे जमा कर रहा था. इन लोगों के लिए विसर्जन के बाद बची सामग्री महज कचरा नहीं, बल्कि रोजी-रोटी और जरूरत का साधन थी.बांस-बल्लियां समेट रहे लोगों ने बताया कि



बरसात के दौरान उनके घरों को काफी नुकसान पहुंचा था. घर की मरम्मत के लिए नए बांस खरीदने की आर्थिक स्थिति नहीं है. ऐसे में दुर्गा प्रतिमाओं के निर्माण में इस्तेमाल बांस और बल्लियां उनके टूटे आशियाने को फिर से खड़ा करने में मदद करेंगी. कल तक जिन बांसों के सहारे मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं खड़ी थीं, आज वही किसी गरीब परिवार की छत और दीवारों को सहारा देंगे.

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

सं. : सीआरडब्ल्यु-एचआरटी-एम-सीएएमसी-एसपीबी-26-1, दिनांक : 16.10.2026

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. कार्य का नाम एवं स्थान : कैरिज रिपेयर वर्कशॉप/हरनौत में "कोचों की पेंटिंग के लिए बिना बेकिंग सुविधा वाले स्पे पेंटिंग बूथ का 03 वर्षों लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव का अनुबंध" 2. कार्य के लिए प्राक्कलित राशि : ₹42,40,566/- (रू. बयालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ छियासठ मात्र)। 3. निविदा प्रपत्र की राशि : शून्य, 4 अग्रधन की राशि : ₹84,800/- (रू. चौरासी हजार आठ सौ रूपये मात्र), 5. निविदा कागजात जमा करने की एवं निविदा खुलने की तिथि एवं समय : निविदा ऑन लाइन https://www.ireps.gov.in वेबसाइट पर प्रस्तुत की जानी है। निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि 06.11.2026 को 12:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दिया जाय एवं उसी दिन 12:30 बजे निविदा खोली जायेगी, 6 वेबसाइट का विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण विवरण इत्यादि देखा जा सकता है : निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेबसाइट CRIS website: https://www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है, एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिये मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, प्रशासनिक भवन, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत, नालंदा, बिहार-803110 के नोटिस बोर्ड में देखें। यदि जरूरी हुआ, तो किसी भी बदलाव का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

उप मुख्य यांत्रिक अभियंता/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/पूमरे/हरनौत

पीआर/1154/सीआरडब्लू-एचआरटी/यां./टी/26-27/44

चंद्रशेखर खवाड़े बने अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव

देवघर (आससे)। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा (रजि.) के युवा संगठन में बाबा बैद्यनाथ धाम,



देवघर के तीर्थ पुरोहित पंडा धर्म रक्षिणी सभा देवघर झारखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र शेखर खवाड़े को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासभा की ओर से नवरात्रि के पावन अवसर पर राष्ट्रीय युवा संगठन के पदाधिकारियों की नई सूची की घोषणा की गई। इस घोषणा के बाद देवघर के तीर्थ पुरोहित समाज में प्रसन्नता का माहौल है। महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अरविंद मुरलीधरन के नेतृत्व में घोषित नई सूची में देश के विभिन्न प्रमुख तीर्थस्थलों से जुड़े युवा पदाधिकारियों को संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। इस सूची में चन्द्र शेखर खवाड़े को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बैद्यनाथ धाम, देवघर का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। महासभा की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि विजयादशमी के पावन अवसर पर वरिष्ठ तीर्थ पुरोहितों के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से संगठन को सशक्त, एकजुट और संगठित बनाने की दिशा में नई यात्रा प्रारंभ की जा रही है। संगठन का उद्देश्य तीर्थ पुरोहित समाज की परंपराओं एवं धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करना, समाज में एकता स्थापित करना तथा युवा पीढ़ी को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। चन्द्र शेखर खवाड़े की नियुक्ति को बाबा बैद्यनाथ धाम और देवघर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर महासभा के युवा संगठन में देवघर को प्रतिनिधित्व मिलने से स्थानीय तीर्थ पुरोहित समाज की आवाज को व्यापक मंच मिलने की उम्मीद है।

नई जिम्मेदारी के माध्यम से चन्द्र शेखर खवाड़े तीर्थ पुरोहितों के हितों, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण, युवा पुरोहितों के मार्गदर्शन तथा देश के विभिन्न तीर्थस्थलों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।

विश्व आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

आयोडीन युक्त नमक के नियमित सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव संभव : सिविल सर्जन



देवघर (आससे)। विश्व आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल, देवघर के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉ. एस. पी. मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा आयोडीन युक्त नमक के नियमित उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोडीन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि आयोडीन शरीर के समुचित विकास तथा थायरॉइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से घेंघा रोग सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आयोडीन युक्त नमक का नियमित सेवन करना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सहिया कार्यकर्ताओं द्वारा जांच किट के माध्यम से नमक में आयोडीन की उपलब्धता की जांच का व्यावहारिक प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन के जरिए नमक की जांच की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही, समुदाय स्तर पर लोगों को आयोडीन युक्त नमक के महत्व से अवगत कराने तथा इसके नियमित उपयोग के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रमेश कुमार, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. संचयन, जिला वी.बी.डी. पदाधिकारी डॉ. अभय यादव, सदर अस्पताल की उपाधीक्षक डॉ. सुषमा वर्मा, जिला आर.सी.एच. पदाधिकारी डॉ. के. के. सिंह, डी.पी.एम. नीरज भगत, डी.पी.सी. प्रवीण सिंह, डी.डी.एम. पोखराज सहित राजीव, राजेश, शंकर, कासिम एवं शहरी सहिया उपस्थित थीं। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की कि वे आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें तथा आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के प्रति स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें। सामुदायिक सहभागिता एवं सही स्वास्थ्य जानकारी के माध्यम से आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याओं की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम ठेकेदारों से एवं रेल, सिंचाई, सी.पी.डब्लु.डी., एम.ई.एस. अथवा अन्य लोक उपक्रम में रजिस्टर्ड अथवा कार्यरत ठेकेदारों से ऑन-लाइन (ई-निविदा) आमंत्रित करते हैं :-

निविदा सूचना संख्या : डब्लू-7/ई-टेन्डर/12/ओपेन/दानापुर/2026-27

क्रमांक : 01, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : सहायक मंडल इंजीनियर/लाईन/पटना के अधिकार क्षेत्र में गति बढ़ाने के कार्यों के लिए ट्रैक सुरक्षा फेंसिंग (बाड़) की व्यवस्था। अनुमानित निविदा राशि : ₹18,67,44,718.13 बयाना की राशि : ₹37,34,900/-

क्रमांक : 02, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : जोन नं. 09/2026-27 में सहायक मंडल इंजीनियर/लाईन/पटना के अधीन सभी कार्यालय भवन, रेल कॉलोनी तथा आवासों में सभी सामान्य कार्य, पाईन लाईन, एवं सफाई कार्य, लकड़ी कार्य तथा संबंधी कार्य हेतु जोनल ठेका। अनुमानित निविदा राशि : ₹52,00,000/-, बयाना की राशि : ₹1,04,000/-

क्रमांक : 03, कार्य के नाम, लोकेशन के साथ : सहायक मंडल अभियन्ता/मुख्यालय/दानापुर के अंतर्गत दानापुर में DRM बिल्डिंग ऑफिस चैंबर और अन्य सर्विस बिल्डिंग की विशेष मरम्मत और नवीनीकरण। अनुमानित निविदा राशि : ₹4,81,12,549.95/-, बयाना की राशि : ₹9,62,300/-

निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि एवं समय : निविदा ऑन लाइन www.ireps.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है। निविदाताओं द्वारा निर्धारित तिथि 10.11.2026 को 12.00 बजे तक निविदा प्रस्तुत कर दिया जाय एवं उसी दिन निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित तिथि को 12.00 बजे के बाद निविदा खोली जायेगी। वेब साईट का नाम एवं निविदा संबंधी सूचना : 1. निविदा सूचना पात्रता मान दंड तथा निविदा प्रलेख क्रिस के वेब साईट CRIS website: http://www.ireps.gov.in देखा जा सकता है, एवं सूचना की पूर्ण जानकारी के लिये कार्यालय के नोटिस बोर्ड में देखें। उपरोक्त निविदा से संबंधित संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो, इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेग, बल्कि वेब साईट पर अप लोड किया जायेगा। 2. विवाद की स्थिति में हिन्दी एवं अंग्रेजी में दी गई सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल में प्रकाशित सूचना मान्य होगा। संशोधन के लिए वेब साइट देखने और तद्नुसार अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदाकारों की जिम्मेदारी है।

मंडल रेल प्रबंधक (इजी.)/ पूमरे/दानापुर

पीआर/1151/डीएनआर/अभि./टी/26-27/64

पूर्वोत्तर रेलवे अधिसूचना सं.: 169/2026

रेल यात्री बन्धुओं के लिये आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए साप्ताहिक **त्योहार विशेष गाड़ी** का संचलन निम्नलिखित समय एवं ठहराव के अनुसार किया जायेगा :-

05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी आरक्षित त्योहार विशेष गाड़ी

गाड़ी सं. 05633 नारंगी से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 23.10.2026 से 27.11.2026 तक = 06 ट्रिप
गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर से प्रत्येक रविवार को दिनांक 25.10.2026 से 29.11.2026 तक = 06 ट्रिप

गाड़ी संख्या 05633 नारंगी-गोरखपुर		स्टेशन	गाड़ी संख्या 05634 गोरखपुर-नारंगी	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
-	20:00	नारंगी	03:00	-
20:20	20:30	गुवाहाटी	01:30	01:40
20:45	20:47	कामाख्या	01:10	01:12
21:30	21:35	रंगिया	23:47	23:52
22:25	22:27	बरपेटा रोड	22:45	22:47
23:15	23:25	न्यू बोंगाईगांव	22:00	22:10
00:22	00:24	कोकराझार	21:20	21:22
01:20	01:22	न्यू अलीपुरद्वार	20:03	20:05
01:40	01:45	न्यू कूचबिहार	19:40	19:45
04:35	04:45	न्यू जलपाईगुड़ी	17:30	17:40
05:26	05:28	अलुआबाड़ी रोड	16:18	16:20
05:52	05:54	किशनगंज	15:50	15:52
07:04	07:06	बारसोई	15:08	15:10
09:00	09:10	कटिहार	14:15	14:25
09:55	09:57	नवगछिया	11:50	11:52
11:18	11:20	मानसी जंक्शन	10:22	10:24
11:30	11:32	खगड़िया जंक्शन	10:10	10:12
12:02	12:04	बेगूसराय	09:33	09:35
12:40	12:50	बरौनी जंक्शन	09:05	09:15
13:40	13:42	शाहपुर पटोरी	07:45	07:47
15:00	15:05	हाजीपुर	06:55	07:00
15:15	15:17	सोनपुर	06:43	06:45
17:20	17:30	छपरा	05:10	05:20
18:40	18:45	सीवान जंक्शन	04:00	04:05
19:20	19:22	भटनी	03:23	03:25
19:55	20:00	देवरिया सदर	02:40	02:45
20:30	20:32	चौरी चौरा	02:13	02:15
21:40	-	गोरखपुर जंक्शन	-	01:10

रेक संरचना: जनरेटर सह लगेज यान-01, सामान्य द्वितीय श्रेणी-20 एलएसएलआरडी-01 = कुल 22 कोच।

मुजाधि/टी-65 **मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक, गोरखपुर**

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

कृषकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के उद्देश्य से आपसी समन्वय बनाते हुए करें कार्य

देवघर(आससे)। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्री पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, भूमि संरक्षण, उद्यान एवं सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्यों की वास्तुस्थिति से अवगत हुए। साथ हीं विभिन्न योजनाओं के तहत धीमी गति से चल रहे कार्यों पर रोष प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। आगे बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने बिरसा बीज उत्पादन, वितरण एवं फसल विस्तार योजना तथा आत्मनिर्भरता-दलहन योजना की प्रखंडों को निर्धारित बीज की मात्रा शत-प्रतिशत उठाव नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने रबी मौसम के बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ लैम्पस/पैक्स के अतिरिक्त निजी बीज आपूर्तिकर्ताओं तथा एफपीओ के माध्यम से बीज का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य को अविलंब पूरा करने पर जोर दिया गया। आगे बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सहकारिता विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी पैक्सों को डिजिटल बनाते हुए बैंकिंग कॉरस्पोंडेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया। आगे उन्होंने गव्य विकास व पशुपालन विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जोड़ा बैल वितरण, बकरा वितरण, सुकर विकास, चूजा वितरण, बतख पालन आदि से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने का निदेश दिया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के अलावा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जिला अन्तर्गत सरकारी व निजी तालाबों को जिर्णोद्धार को लेकर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए शेष बचे तालाबों के जिर्णोद्धार के कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया। साथ ही जलनिधि योजना के तहत डीप बोरिंग, परकोलेशन टैंक के निर्माण कार्य के तहत किये जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को पारदर्शी तरीके से कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसलों के बीज वितरण (धान, मक्का, सरसों आदि) कार्यों के अलावा पीएमकेएसवाई, डीप एरिगेशन, पीएम किसान, केसीसी के तहत चल रहे कार्यों की बिन्दुआर समीक्षा करने के अलावा एफपीओ बनाने की दिशा में दिशा में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त द्वारा जिला भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए किन-किन योजनाओं के तहत जिले में किसान समूहों को कृषि यंत्र का वितरण किया जा रहा है। साथ हीं उन्होंने जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी को निदेशित किया कि कृषि यंत्रिकी के वितरण में पारदर्शिता के अलावा किसान समूहों को प्राथमिकता दिया जाय एवं जो योग्य लाभुक हैं, उन्हें योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा सके। आगे उन्होंने कृषि विभाग द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के अलावा खरीफ व रबी फसल वितरण को लेकर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए रबी फसल से जुड़े वितरण के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। साथ ही गोधन न्याय योजना, बिरसा ग्राम विकास योजना, उद्यान विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों के अलावा एग्री स्मार्ट विलेज योजना की दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया।

जयंती पर अशफाक उल्ला खान को श्रद्धांजलि

देवघर (आससे)। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवादल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार ने जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अशफाक उल्ला खान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि त्याग, तपस्या और बलिदान की जीती जागती प्रतिमूर्ति थे स्वर्गीय खान।

स्वर्गीय खान जैसे क्रांतिकारियों की कुर्बानी से ही देश को आजादी मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी शहादत को यह देश सदैव याद रखेगा। इन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना तभी सार्थक माना जाएगा जब हम सभी इनके द्वारा चले मार्गों पर चलकर राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए त्याग व बलिदान हेतु सदैव संकल्पित एवं तैयार रहें।

वर्गीकृत

शपथ-पत्र

मैं, छाया पाण्डेय उर्फ छाया रानी, पति-प्रणव विवेक, सुपुत्री श्री राम नरेश तिवारी निवासी-अम्बालय, गरीब स्थान रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842001, की स्थायी निवासी हुँ, शपथ पत्र सं.-**818**, दिनांक-**12.10.2026** के द्वारा घोषणा करती हुँ, कि मेरे शैक्षणिक सर्टीफिकेट में मेरा नाम छाया रानी है और मेरे आधार कार्ड/पैन कार्ड एवं वोटर आईडी में छाया पाण्डेय है, मैं छाया पाण्डेय और छाया रानी दोनों एक ही महिला हुँ, भविष्य में अब मैं **छाया पाण्डेय** के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

नाम परितर्वन

मैं, हसरत खातून, पति-मो. अफजल खां, निवास ग्राम-मखदुमकुण्ड क्षेत्र राजगीर, पो.+ थाना-राजगीर, जिला-नालंदा (बिहार)। शपथ पत्र सं.-1803 ता. 27. 8.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरी पुत्री का नाम तहजीव खातून (Thajiva Khatun), आधार कार्ड में गलत अंकित है। मेरी पुत्री का सही नाम तेहजीब खातून (Tehzeeb Khatun) है जो सही है।

शपथ पत्र

मैं, द्रौपदी देवी (Draupadi Devi) पति जवाहिर, ग्राम-ओड़ियाचक पो.-बुधौल, थाना-कासमा, जिला-औरंगाबाद, बिहार, शपथ पत्र सं.-30609 दि. 21.10.26 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे पति के पी.पी. ओ. में मेरा नाम द्रौपदी देवी अंकित है आधार कार्ड सं.-407790917651 में भूलवश देवपतिया देवी (Devpatiya Devi) तथा जन्म तिथि 01.01.1950 दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम द्रौपदी देवी एवं जन्म तिथि 12.05.1952 है। जो मेरे पति के सर्विस बुक में अंकित है।

नाम परितर्वन

मैं, मो. आसिफ खान (Md Asif Khan) पिता मो. इसरार खान निवास तुर्कपुरवा पो.-महदाह थाना मुफ्फसिल जिला-बक्सर शपथ पत्र सं. 2021 ता. 30.10.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मो. आसिफ खान है जो सही है। मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम-आसिफ खान एवं मेरे पिताजी का नाम-इसरार खान अंकित हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम मो. आसिफ खान (Md Asif Khan) एवं मेरे पिताजी का सही नाम मो. इसरार खान (Md Israf Khan) है।

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

Change Name

I, Ujjwal Kumar S/o Nagendra Singh, R/o vill.-Kaithi, Kachhawa, Rohtas-821309 vide Affidavit No. 16936 date 29.10.26 declare that in my Policy Generali central life insurance com. Ltd. Policy No. 01037823 my date of Birth has been mentioned as 10.12.2007 and my name is Ujala Kumar which is wrong. My correct date of Birth is 5.9.2005 and my correct name is Ujjwal Kumar.

CM-923

Affidavit

I, Ehteshamul Haque Hashmi, aged about 55 years, son of Late Syed Anwarul Haque, resident of vill.+P.O.+P.S.-Daudpur, District-Saran, Bihar-841205, Aadhar No.-559830410485 do hereby solemnly affirm and declare as follows :- 1. That Safa Hashmi is my daughter. 2. That in her Aadhar card her name has been wrongly mentioned as SAF A ENTESHAM. 3. That my daughter correct name is Safa Hashmi. 4. That now my daughter will known as Safa Hashmi for all purposes.

CM-935

रामपुर खरेया प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड

प्रखंड कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, निबंधन संख्या-147 (गो.), दिनांक 06.08.2008

आवश्यकता है

रामपुर खरेया पैक्स (कुचायकोट) में प्रबंधक के एक पद हेतु भर्ती होनी है। आवेदन की तिथि 23.10.2026 से 07. 11.2026 तक निर्धारित है। **उम्र सीमा :** 18 से 45 वर्ष, **योग्यता :** स्नातक+टैली, **मानदेय :** सेवा नियमावली के अनुसार। **सेवा शर्तें :** पैक्स कार्मिक नियमावली के अनुसार। **आवेदन :** रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या पैक्स कार्यालय, रामपुर खरेया में जमा किया जा सकता है।

ह./-

पैक्स अध्यक्ष

मोबाइल नंबर : 9955682178

9/614/26

नाम परिवर्तन

मैं, अब तक रामाजी यादव पुत्र बहारन यादव के नाम से जाना जाता हूं। मैं ग्राम हिरान्दा, पो.-मनिआरा, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज (बिहार) (घर का पता) पर रहता हूं। मैं अपना नाम बदल लिया है और इसके बाद मैं रमेश यादव पिता बहारन यादव ग्राम हिरान्दा, पो. -मनिआरा, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज (बिहार) से जाना जाऊंगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं को अनुपालन किया है। शपथ पत्र सं. 146/16.10.26

9/614/26

खोया-पाया

मैं राजू कुमार झा, पिता बलराम झा, मलाड, थाना-किशनपुर, जिला- सुपौल का स्थाई निवासी हूँ। मैं अभी HDFC Bank, किशनगंज में कार्यरत हु। मेरे द्वारा ब्लू डार्ट कुरियर (पीओडीए 17674150605) के माध्यम से सीबेक कुमार सिंहा, जिसका आईडी संख्या- 260466320710950 भेजा गया था, लेकिन कुरियर के दौरान ये आईडी कार्ड कहीं गुम हो गया है, काफी खोजबीन करने के बाद भी आईडी कार्ड का पता नहीं चल पाया है। जिनको भी यह मिले कृपया मोबाइल नंबर 8789314784 पर संपर्क करें। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। सनहा नंबर-1129/26, दिनांक-16/10/26,आदर्श थाना, किशनगंज।

शपथ पत्र

मैं, खुर्शीद आलम, पिता-स्व. म. अली इमाम ग्राम+पो.-चुड़ी मुहल्ला वार्ड नं.-08 मीरगंज, जिला-गोपालगंज बिहार शपथ पत्र संख्या-46862 दिनांक 16.09.2026 के द्वारा घोषणा करता हूं कि खुर्शीद आलम उर्फ खुरसेद अनवर दोनों नामों से जाना और पहचाना जाता हूं तथा मेरे पिता स्व. म. अली इमाम उर्फ अली इमाम दोनों नामों से जाने एवं पहचाने जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी संख्या 826123778 में मेरा नाम खुर्शीद आलम है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता में मेरा नाम खुरसेद अनवर है।

9/600/26

अभियुक्ता की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्ता **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता,** पत्नी: आनंद गुप्ता, निवासी: जैन मंदिर के पास, दुर्गा शंकर रोड, गया, बिहार-823001 ने **सीसी एनआई अधिनियम 5363/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना हजरत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** मिल नहीं रही है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** फरार हो गयी है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **सीसी एनआई अधिनियम 5363/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना हजरत निज़ामुद्दीन, नई दिल्ली** की उक्त अभियुक्ता **श्रीमती सरोज कुमारी आनंद गुप्ता** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **25.11.2026** को या उससे पहले हाज़िर हो।

आदेशानुसार: श्री अनुराग छाबड़ा,
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (एनआई अधिनियम)-06,
कक्ष सं. 32, दक्षिण-पूर्व जिला,
साकेत कोर्ट, नई दिल्ली।

DP/14845/SE/2026

पूर्व मध्य रेल

पेंशन अदालत 15.12.2026 हेतु सूचना

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.10.2026

पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 15 दिसंबर 2026 (मंगलवार) को 11:00 बजे निम्नलिखित स्थलों पर किया जायेगा :

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु आयोजन स्थल	उनके लिए जो निम्न जगह से सेवानिवृत्त हुए	आवेदन किसे संबोधित करे (परिवाद निम्नलिखित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए)
1	जोनल मुख्यालय/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर	मुख्यालय कार्यालय /पूर्व मध्य रेल/ हाजीपुर	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर.एण्ड.डब्ल्यू) पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
2	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सोनपुर	सोनपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरि० मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/सोनपुर
3	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	समस्तीपुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर
4	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, धनबाद	धनबाद मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/धनबाद
5	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	डीडीयू मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी पूर्व मध्य रेल/डीडीयू
6	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, दानापुर	दानापुर मंडल एवं मंडल के अंदर स्थित गैर मंडलीतकृत स्थापनाएं	वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/ पूर्व मध्य रेल/दानापुर
7	यांत्रिक कारखाना/पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर	यांत्रिक रेल कारखाना, समस्तीपुर	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/ यांत्रिक कारखाना, समस्तीपुर
8	प्लांट डिपो /पूर्व मध्य रेल, डीडीयू	प्लांट डिपो, डीडीयू	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूर्व मध्य रेल/प्लांट डिपो, डीडीयू
9	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण कार्यालय पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट/ पटना	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यालय/पूमरे/महेन्द्रूघाट/पटना	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण/पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट/पटना
10	मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्यालय/ पूर्व मध्य रेल, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना, हरनौत	मुख्य कारखाना प्रबंधक/सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

उक्त पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए कृपया अपना पूरा विवरण निम्न प्रारूप में संबंधित कार्मिक अधिकारी को दिनांक 31.10.2026 तक समर्पित करें।

1	आवेदक का नामः-	8	सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/ स्वैच्छिक /अनिवार्य):-
2	भूतपूर्व कर्मचारी का नामः-	9	भू०पू० कर्मचारी की मृत्यु की तिथि:-
3	पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थलः-	10	अंतिम वेतन एवं वेतनमानः-
4	भू०पू० कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंधः-	11	वर्तमान पताः-
5	सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारीः-	12	पेंशन भुगतान आदेश संख्याः- (प्रति संलग्न करें)
6	सेवानिवृत्ति की तिथि:-	13	शिकायतों का विस्तृत विवरणः-
7	आवेदक का मोबाईल संख्या	14	आवेदक का हस्ताक्षर

अपनी शिकायत एक लिफाफा में ऊपर दिये गये प्रारूप में जिसके ऊपर **पेंशन अदालत** 15.12.2026 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित कार्मिक अधिकारी को भेजें जिसे दिनांक 31.10.2026 तक अथवा इसके पूर्व उन्हें अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि वे शिकायतों जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन की बढोतरी आदि, पेंशन अदालत के विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्त जीवन के 15 वर्ष पूरा कर चुके सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी कृपया ध्यान दें:- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्यूटेशन (सांराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + सांराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरण पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधा सम्पर्क करें।

सहायक कार्मिक अधिकारी/एमपीपी
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

पीआर/1149/एचक्यू/कार्मिक/एन/26-27/216